भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1373

(जिसका उत्तर सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

सीएसआर के अंतर्गत व्यय की गई निधि

1373. श्री धर्मवीर सिंहः

श्रीमती रीती पाठकः

डॉ. के. जयकुमारः

श्री टी.आर.बालूः

श्री एम.बदरूद्दीन अजमलः

श्री संतोष पान्डेयः

श्री बालक नाथः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से 2022 और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्ष के अंतर्गत सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की अवसंरचना हेतु कल्याणकारी कार्यकलापों पर खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान हरियाणा, असम और छत्तीसगढ़ राज्यों में उक्त शीर्ष के अंतर्गत खर्च की गई निधि का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने हेतु कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कंपनियों ने अपने निवल लाभ का दो प्रतिशत देने के मानदंडों का अनुपालन किया है और यदि नहीं, तो चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के अंतर्गत निधि खर्च करने में असफल रही हजारों कंपनियों को नोटिस भेजे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल सीएसआर से संबंधित समस्त डाटा www.csr.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित विभिन्न कार्यकलापों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और गैर-पीएसयू द्वारा किया गया सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I और II में दिया गया है।

जारी...2/-

हरियाणा, असम और छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न कार्यकलापों पर वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान सभी कंपनियों द्वारा किया गया जिला-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-III, IV और V में दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किया गया सीएसआर व्यय को 31.03.2024 को या उससे पहले फाइल करना अपेक्षित है।

(ग) से (च): सीएसआर ढांचे में ही कंपनियों द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की सांविधिक लेखा परीक्षा के प्रावधानों आदि के माध्यम से किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त तंत्र उपलब्ध है।

सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय की राशि के बारे में अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जानकारी प्रदान करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("सीएआरओ, 2020") को भी अधिसूचित किया है, जिसमें लेखा परीक्षकों को किसी भी अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण बताना अपेक्षित है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा लागू सीएसआर नीति का खुलासा करना भी अपेक्षित है। जिन कंपनियों के पास अपनी वेबसाइट है, उन्हें सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कंपनी के बोर्ड स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस तरह से वितरित धन का उपयोग उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

कंपनियों द्वारा सीएसआर से संबंधित खुलासे एमसीए 21 पोर्टल में फाइल किए जाते हैं। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो अभिलेखों की विधिवत जांच करने और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

अब तक, 366 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से कंपाउंडिंग के लिए 175 आवेदन किए गए हैं और 131 मामलों को कंपाउंड किया गया है। अब, सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन न करने को 22 जनवरी, 2021 से एक सिविल रोंग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

11.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विकास क्षेत्र पीएसयू वार कुल सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रूपये में)									
क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
1	कृषि वानिकी	0.43	1.92	0.06	0.10	0.13	0.13	0.04	2.43
2	पशु कल्याण	0.04	2.32	0.50	1.45	1.22	6.62	1.93	3.16
3	सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं /आश्रित	1.67	4.77	0.63	8.15	17.36	18.73	15.20	5.77
4	कला और संस्कृति	37.71	38.09	178.25	228.62	57.31	387.67	272.12	25.67
5	स्वच्छ गंगा निधि	2.04	25.50	21.28	30.59	4.10	3.03	4.49	3.51
6	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	17.12	1.45	78.56	172.02	111.77	103.56	8.99	10.12
7	शिक्षा	580.93	659.91	852.28	962.25	794.62	1,083.43	676.54	812.87
8	पर्यावरणीय स्थिरता	410.28	267.64	357.14	343.97	327.23	379.82	102.33	260.85
9	लैंगिक समानता	0.11	1.67	2.51	2.53	1.85	5.40	0.25	1.28
10	स्वास्थ्य देखभाल	239.41	324.17	274.74	414.73	514.19	1,035.99	946.77	1,358.35
11	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	49.49	77.77	23.30	55.29	93.50	72.08	42.81	27.83
12	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	27.26	667.58	186.08	170.49	289.88	173.61	389.46	119.22
13	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	5.46	6.94	1.14	39.55	39.23	131.21	637.72	716.27
14	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	280.37	540.23	409.65	333.22	528.76	331.84	464.25	377.50
15	स्वच्छ पेयजल	27.52	31.28	33.58	62.08	80.76	42.18	29.91	30.98
16	स्वच्छता	181.71	455.74	203.09	242.89	300.15	269.36	149.28	140.95
17	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.24	1.97	0.56	2.19	3.16	3.52	1.59	7.32
18	महिलाओं के लिए गृहों और छात्रावासों की स्थापना	1.52	3.49	20.59	26.82	10.52	7.98	7.88	1.67
19	अनाथालय की स्थापना	0.04	1.06	0.24	1.58	0.33	0.81	1.40	1.37
20	स्लम क्षेत्र का विकास	97.59	0.82	26.83	23.04	34.22	22.45	66.94	36.23
21	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	4.20	11.50	25.93	15.87	14.13	13.95	4.78	14.17
22	विशेष शिक्षा	5.00	26.76	15.80	8.64	49.16	27.13	7.65	3.69
23	स्वच्छ भारत कोष	83.27	216.19	119.18	207.02	64.65	23.05	24.60	5.05
24	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.20	4.64	5.76	0.47	2.30	1.77	7.96	0.61
25	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	20.96	57.96	112.29	73.51	58.40	40.44	26.48	55.61
26	व्यावसायिक कौशल	110.02	66.61	71.43	114.99	281.14	325.63	115.66	133.28
27	महिला सशक्तिकरण	11.88	8.93	40.60	63.25	14.85	23.61	11.56	18.67
28	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया *	537.81	623.69	324.26	11.76	64.26	472.85	168.28	-
29	केंद्र सरकार के अन्य कोष	82.54	84.08	57.90	33.99	465.26	302.27	299.39	139.06
	कुल योग	**2,816.82**	**4,214.69**	**3,444.15**	**3,651.02**	**4,224.46**	**5,310.12**	**4,486.27**	**4,313.46**

(31.03.2023 तक का डाटा) [स्रोत: सीडीएम सेल द्वारा प्रदान किया गया डाटा]

*** कहीं और शामिल नहीं (एनईसी)**

*** कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को दर्शाया गया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

****

अनुलग्नक-II

11.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विकास क्षेत्र गैर-पीएसयू वार कुल सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)									
क्र. सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
1	कृषि वानिकी	17.69	55.94	45.42	66.69	64.61	67.25	20.85	30.70
2	पशु कल्याण	17.25	64.35	78.21	62.07	97.11	99.50	191.61	162.40
3	सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं /आश्रित	3.09	6.37	37.23	20.95	72.82	43.33	68.85	36.79
4	कला और संस्कृति	79.66	81.08	127.88	166.60	168.62	545.90	221.01	215.58
5	स्वच्छ गंगा निधि	3.43	7.32	3.09	3.37	4.01	3.60	8.90	50.81
6	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	27.48	48.40	40.53	56.12	61.78	57.05	83.02	261.83
7	शिक्षा	2,008.49	3,397.53	3,681.88	4,801.20	5,317.04	6,096.08	6,016.71	5,554.46
8	पर्यावरणीय स्थिरता	363.71	529.05	725.49	957.99	1,041.04	1,090.71	927.82	2,105.30
9	लैंगिक समानता	55.10	72.18	70.09	21.48	50.01	77.53	43.58	96.37
10	स्वास्थ्य देखभाल	1,608.33	2,245.26	2,229.17	2,362.22	3,102.96	3,869.73	6,379.06	6,277.84
11	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	230.68	315.61	495.19	777.11	814.48	1,005.64	896.10	794.18
12	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	247.44	584.50	428.57	640.71	905.90	986.10	1,018.13	1,754.46
13	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	222.72	211.10	157.66	160.87	282.96	667.22	1,060.66	474.59
14	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	778.98	835.94	1,163.23	1,390.85	1,905.42	1,969.17	1,386.45	1,423.93
15	स्वच्छ पेयजल	76.43	148.88	126.55	158.79	147.47	211.22	173.22	145.12
16	स्वच्छता	117.83	176.06	230.89	217.80	206.51	252.36	189.69	160.52
17	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	8.70	19.90	27.18	37.91	43.36	48.81	54.88	68.91
18	महिलाओं के लिए गृहों और छात्रावासों की स्थापना	7.22	25.79	41.63	43.76	46.48	40.52	36.64	98.48
19	अनाथालय की स्थापना	5.08	15.84	16.56	38.30	12.55	35.69	20.48	24.42
20	स्लम क्षेत्र का विकास	3.55	13.28	24.66	16.12	16.83	20.49	22.01	21.91
21	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	34.84	66.47	122.08	140.08	153.79	200.93	145.03	141.89
22	विशेष शिक्षा	36.43	99.08	149.54	131.37	136.97	169.75	201.60	178.14
23	स्वच्छ भारत कोष	30.59	109.33	64.88	65.04	30.86	30.42	136.76	27.86
24	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	4.54	21.70	19.64	16.47	29.80	51.73	54.66	6.72
25	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	36.66	82.16	84.71	211.90	251.76	263.57	216.91	231.07
26	व्यावसायिक कौशल	167.05	277.80	308.27	431.47	517.21	855.61	601.99	877.55
27	महिला सशक्तिकरण	60.99	113.86	122.86	188.11	221.70	235.97	194.44	232.64
28	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया *	800.59	427.47	113.17	3.44	23.35	29.93	34.86	0.59
29	केंद्र सरकार के अन्य कोष	194.56	250.27	362.09	258.74	265.79	629.89	1,318.78	164.28
	कुल योग	**7,249.11**	**10,302.52**	**11,098.36**	**13,447.56**	**15,993.20**	**19,655.70**	**21,724.68**	**21,619.34**

(31.03.2023 तक का डाटा) [स्रोत: सीडीएम सेल द्वारा प्रदान किया गया डाटा]

*** कहीं और शामिल नहीं (एनईसी)**

*** कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को दर्शाया गया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

****

अनुलग्नक-III

11.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

हरियाणा- जिलेवार कुल सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)						
क्र. सं.	सीएसआर जिला	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
1	अंबाला	6.02	4.48	5.76	7.71	8.13
2	भिवानी	5.08	4.56	1.55	2.26	11.77
3	फरीदाबाद	14.27	33.76	32.09	42.89	62.58
4	फ़तेहाबाद	0.02	2.25	0.12	3.21	2.13
5	गुरुग्राम	66.45	62.08	128.70	135.73	286.48
6	हिसार	22.73	8.81	12.36	18.88	23.61
7	झज्जर	3.57	10.53	30.99	51.98	44.37
8	जींद	0.64	0.48	0.83	1.66	1.85
9	कैथल	-	0.09	-	0.06	0.23
10	करनाल	1.95	8.22	9.03	18.54	7.63
11	कुरुक्षेत्र	0.13	0.30	0.36	1.10	3.05
12	महेंद्रगढ़	-	0.03	0.14	1.54	1.34
13	मेवात	1.85	2.74	3.38	4.87	13.58
14	पलवल	-	0.27	3.35	4.02	2.43
15	पंचकूला।	2.00	3.63	5.57	6.48	14.98
16	पानीपत	1.21	1.91	3.45	3.47	16.32
17	रेवाड़ी	0.77	5.59	6.07	12.45	27.97
18	रोहतक	12.26	2.61	3.30	10.82	7.63
19	सिरसा	0.22	0.03	0.05	0.12	1.03
20	सोनीपत	3.53	9.06	9.80	12.79	34.21
21	यमुनानगर	3.14	1.03	2.73	2.92	8.65
22	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया *	217.58	215.65	278.28	207.36	74.92
कुल योग		**363.43**	**378.11**	**537.91**	**550.86**	**654.88**

(31.03.2023 तक के आंकड़े) **[स्रोत: सीडीएम सेल द्वारा प्रदान किए गए आकंड़ें]**

*** कहीं और शामिल नहीं (एनईसी)**

***कंपनियों ने या तो जिले के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक जिलों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

अनुलग्नक-IV

11.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

असम- कुल सीएसआर व्यय जिलेवार (करोड़ रुपये में राशि)						
क्र.सं.	**सीएसआर जिला**	**वित्त वर्ष 2017-18**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**
1	बक्सा	-	-	0.23	-	-
2	बारपेटा	0.24	0.41	13.89	5.23	15.14
3	बिश्वनाथ	-	0.27	-	2.08	-
4	बोंगाईगांव	12.67	3.52	4.20	0.89	0.50
5	कछार	0.13	0.19	0.08	3.96	5.08
6	चराइदेव	-	-	-	-	-
7	चिरांग	0.11	-	-	-	-
8	दरांग	0.01	0.01	15.66	4.13	41.34
9	धेमाजी	0.11	0.61	0.42	1.37	2.31
10	धुबरी	0.83	0.01	2.88	0.02	1.34
11	डिब्रूगढ़	0.56	5.71	10.26	11.92	16.30
12	दीमा हसाओ	-	-	-	0.08	0.00
13	गोलपाड़ा	0.02	-	-	0.31	0.82
14	गोलाघाट	43.97	0.02	33.54	0.82	36.41
15	हैलाकांडी	-	-	-	-	2.36
16	होजाई	-	0.02	-	-	-
17	जोरहाट	1.02	2.99	4.09	4.64	4.00
18	कामरूप	20.30	11.77	23.78	13.43	110.76
19	कामरूप मेट्रोपॉलिटन	4.55	0.34	11.01	11.11	1.92
20	कार्बी आंगलोंग	-	-	0.37	-	0.13
21	करीमगंज	-	-	-	-	0.08
22	कोकराझार	0.10	0.02	0.00	0.01	0.44
23	लखीमपुर	0.01	0.01	0.00	1.99	2.54
24	माजुली	-	0.05	0.01	7.29	-
25	मोरीगांव	-	-	-	0.20	0.03
26	नागांव	0.17	0.25	1.00	0.69	0.98
27	नलबाड़ी	-	0.01	0.01	1.26	0.40
28	शिवसागर	20.41	-	0.11	5.68	90.11
29	सोनितपुर	0.46	0.35	0.95	0.37	2.85
30	तिनसुकिया	0.09	7.56	8.80	8.25	11.74
31	उदलगुरी	0.06	-	-	-	-
32	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	-	-	-	-	-
33	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया *	105.51	175.89	153.71	94.51	51.12
कुल योग		**211.33**	**210.00**	**285.00**	**180.23**	**398.70**

(31.03.2023 तक के आंकड़े) [स्रोत: सीडीएम सेल द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ें]

*** कहीं और शामिल नहीं (एनईसी)**

***कंपनियों ने या तो जिले के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक जिलों को दर्शाया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

****

अनुलग्नक-V

11.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

छत्तीसगढ़- जिलेवार कुल सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	सीएसआर जिला	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
1	बालोद	-	-	-	1.63	-
2	बलोदा बाजार	-	-	0.35	0.14	-
3	बलरामपुर	2.30	-	0.12	0.84	-
4	बस्तर	-	-	0.05	5.11	15.26
5	बेमेत्रा	-	0.24	-	-	-
6	बीजापुर	-	-	-	1.79	-
7	बिलासपुर	8.30	1.30	20.82	14.31	14.82
8	दंतेवाड़ा	-	-	-	12.13	8.77
9	धमतरी	0.68	-	0.75	1.54	1.76
10	दुर्ग	5.36	5.41	16.58	8.26	9.81
11	गरियाबंद	-	-	-	0.77	-
12	जंजीर चंपा	-	8.33	4.11	1.41	3.72
13	जशपुर	0.09	-	0.22	1.40	2.31
14	कबीरधाम	-	-	0.04	1.26	0.74
15	कांकेर	-	-	0.07	1.15	0.91
16	कोरबा	10.55	2.85	17.05	18.74	18.87
17	कोरिया	-	-	0.03	0.94	2.78
18	महासमुंद	-	0.27	1.79	-	0.70
19	नारायणपुर	-	-	2.20	3.24	-
20	रायगढ़	2.50	1.18	5.35	6.19	18.76
21	रायपुर	23.94	20.38	103.58	90.80	76.17
22	राजनांदगांव	1.96	2.12	4.82	2.77	7.66
23	सुकमा	-	0.35	0.23	1.60	2.49
24	सूरजपुर	6.14	-	1.40	3.67	0.23
25	सरगुजा	2.50	0.13	0.45	12.70	11.70
26	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया *	112.39	106.80	89.68	133.24	95.36
कुल योग		**176.70**	**149.35**	**269.68**	**325.63**	**292.83**

(31.03.2023 तक के आंकड़े) [स्रोत: सीडीएम सेल द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ें]

*** कहीं और शामिल नहीं (एनईसी)**

***कंपनियों ने या तो जिले के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक जिलों को दर्शाया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

****